

## मशिन वात्सल्य

### प्रलिस के लयः

मशिन वात्सल्य, महिला और बाल वकिस मंत्रालय, एकीकृत बाल संरक्षण योजना ।

### मेन्स के लयः

मशिन वात्सल्य, सरकारी नीतयों और हस्तक्षेप, बच्चों से संबंधित मुद्दे ।

## चर्चा में कयों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने मशिन वात्सल्य बाल संरक्षण योजना को लेकर राज्यों को दशिया-नरिदेश जारी कयि थे ।

## नए दशिया-नरिदेश:

- दशिया-नरिदेशों के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा दी गई धनराशतिक पहुँच प्राप्त करने के लयि राज्य योजना का मूल नाम नहीं बदल सकते हैं ।
- राज्यों को फंड मशिन वात्सल्य परियोजना अनुमोदन बोर्ड (PAB) के माध्यम से अनुमोदति कयि जाएगा, जसिकी अध्यक्षता WCD सचवि करेंगे, जो अनुदान जारी करने के लयि राज्यों तथा केंद्रशासति प्रदेशों से प्राप्त वार्षकि योजनाओं और वतित्तीय प्रस्तावों की जाँच और अनुमोदन करेंगे ।
- इसे 60:40 के अनुपात में फंड-शेयरिंग पैटर्न के साथ राज्य सरकारों और केंद्रशासति प्रदेशों के प्रशासन के साथ साझेदारी में **केंद्र परायोजति योजना** के रूप में लागू कयि जाएगा ।
  - हालाँकि पूर्वोत्तर के आठ राज्यों के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्रशासति प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लयि केंद्र और राज्य/केंद्रशासति प्रदेश का हिससा 90:10 में होगा ।
- MVS, राज्यों और ज़िलों के साथ साझेदारी में बच्चों के लयि 24x7 हेल्पलाइन सेवा को क्रयिान्वति करेगा, जैसा कि कशिर न्याय अधिनयिम, 2015 के तहत परभाषति कयि गया है ।
- यह राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसियों (SARA) का समर्थन करेगा जो देश में **दत्तक ग्रहण** को बढ़ावा देने और अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण को वनियमति करने में **केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधकिरण (CARA)** का समर्थन करेगा ।
  - SARA राज्य में दत्तक ग्रहण सहति गैर-संस्थागत देखभाल से संबंधित कार्यों का समन्वय, नगिरानी और वकिस करेगी ।
- मशिन की योजना परतियकृत और अवैध वयापार कयि गए बच्चों को प्राप्त करने के लयि प्रत्येक क्षेत्र में कम-से-कम एक वशिष दत्तक ग्रहण एजेंसी में पालना शशि स्वागत केंद्र स्थापति करने की है ।
- देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों के साथ-साथ वशिष आवश्यकता वाले बच्चों को लयि (ट्रांसजेंडर बच्चों के लयि अलग घरों सहति) और उमर के आधार पर अलग-अलग घरों में रखा जाएगा ।
  - चूँकि वे शारीरिक या मानसिक अक्षमताओं के कारण स्कूल नहीं जा पाते हैं, इसलयि ये संस्थान व्यावसायकि चकितिसा, वाक् चकितिसा, वर्बल थेरेपी और अन्य उपचारात्मक कक्षाएँ प्रदान करने के लयि वशिष शकिषक, चकितिसक और नर्स प्रदान करेंगे ।
  - इसके अलावा इन वशिषिट प्रभागों के कर्मचारयों को सांकेतिक भाषा, बरेल और अन्य संबंधित भाषाओं में पारंगत होना चाहयि ।
- भागे हुए बच्चों, गुमशुदा बच्चों, तस्करी कयि गये बच्चों, कामकाजी बच्चों, गली-मोहल्लों में रहने वाले बच्चों, बाल भखिरयों, मादक द्रव्यों के सेवन करने वाले बच्चों आदि की देखभाल के लयि राज्य सरकार द्वारा **खुले आश्रयों की स्थापना का समर्थन कयि जाएगा** ।
- वसितारति परिवारों के साथ रहने वाले या पालक देखभाल में कमज़ोर बच्चों के लयि शकिषा, पोषण और स्वास्थ्य आवश्यकताओं का समर्थन करते हुए वतित्तीय सहायता भी नरिधारति की गई है ।

## मशिन वात्सल्य:

- ऐतहासकि परपिरेकष्यः
  - वर्ष 2009 से पहले महिला एवं बाल वकिस मंत्रालय ने सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों हेतु तीन योजनाओं को लागू कयि:
    - देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के साथ-साथ बच्चों हेतु कशिर न्याय कार्यक्रम,

- सड़क पर रहने वाले बच्चों हेतु एकीकृत कार्यक्रम,
- बाल गृह सहायता योजना ।
- वर्ष 2010 में इन्हें एक ही योजना में मिला दिया गया जसि **एकीकृत बाल संरक्षण योजना** के रूप में जाना जाता है ।
- वर्ष 2017 में इसका नाम बदलकर **"बाल संरक्षण सेवा योजना"** कर दिया गया और फरि वर्ष 2021-22 में **मशिन वात्सलय** के रूप में नामति कया गया ।
- **परचिय:**
  - **यह देश में बाल संरक्षण सेवाओं हेतु अमबरेला योजना है ।**
  - मशिन वात्सलय के तहत घटकों में सांघिकि नकियों के कामकाज में सुधार, सेवा वतिरण संरचनाओं को मज़बूत करना, संपन्न संस्थागत देखभाल और सेवाएँ, गैर-संस्थागत समुदाय-आधारति देखभाल को प्रोत्साहति करना, आपातकालीन पहुँच हेतु सेवाएँ एवं प्रशक्तिषण और क्षमता निर्माण ।
- **उद्देश्य:**
  - **देश के प्रत्येक बच्चे के लयि स्वस्थ और खुशहाल बचपन सुनिश्चति करना ।**
  - **बच्चों के वकिस के लयि एक संवेदनशील, सहायक और समकालकि पारस्थितिकि तंत्र को बढ़ावा देने, कशोर न्याय अधनियम, 2015 के अधदिश को वतिरति करने में राज्यों तथा केंद्रशासति प्रदेशों की सहायता करने हेतु उन्हें अपनी पूरी क्षमता प्राप्त करने व सभी प्रकार से पालन-पोषण में सहायता करने के अवसर सुनिश्चति करने के लयि **सतत वकिस लक्ष्यों** (एसडीजी) को प्राप्त करना ।**
- यह अंतमि उपाय के रूप में बच्चों के 'संस्थागतकरण के सिद्धांत' के आधार परकठनि परस्थितियों में बच्चों की परिवार-आधारति गैर-संस्थागत देखभाल को बढ़ावा देता है ।

## आगे की राह

- ये दशिा-नरिदेश सही दशिा में हैं, क्योकहमारे देश में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो शारीरकि और मानसकि रूप से दवियांग हैं, इन सभी पहलों से उनका जीवन आसान हो जाएगा ।
- इन सभी पहलों को कुशलतापूर्वक और बेहतर गति से लागू करने की आवश्यकता है ।

## स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/mission-vatsalya>

